बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन-0612-2231563, फैक्स नं० :2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in,ई-मेल :bseapatna@gmail.com

पत्रांक-नि० प्रा०/नि० 1-07/2019 1591 /पटना, दिनांक 11/10/2019

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)।

विषय : **प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2019 हेतु मतदान केन्द्र की स्थापना के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राधिकार के पत्रांक-869 दिनांक 14.06.2019 (प्रति संलग्न) के द्वारा सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र की स्थापना के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के अनुसार दिनांक 31 जुलाई, 2019 तक मतदान केन्द्रों की स्थापना पर अंतिम निर्णय लिया जाना था। प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2019 हेतु जल्द ही नए सिरे से निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया जाना है। इस बीच प्राधिकार स्तर पर मतदान केन्द्र स्थापना से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें संबंधित जिला पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा चुका है। ऐसी संभावना है कि क्षेत्रीय स्तर पर भी इससे संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हों।

उपर्युक्त के आलोक में सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) से अनुरोध है कि सभी शिकायतों पर तुरंत विचार कर लिया जाय तथा अद्यतन स्थिति के आलोक में दिनांक 25.10.2019 तक सभी मतदान कन्द्रों का निर्धारण सुनिश्चित किया जाय। मतदान केन्द्र के निर्धारण के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक-869 दिनांक 14.06.2019 में वर्णित निदेश का अनुपालन अवश्य किया जाय। कृपया दिनांक 26.10.2019 को फैक्स/ ई-मेल द्वारा प्राधिकार को सूचित किया जाय कि आपके जिले में सभी मतदान केन्द्रों का निर्धारण कर दिया गया है।

विश्वासभाजन,

11.10.19

(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1591 / पटना, दिनांक 11/10/2019

प्रतिलिपि : सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स० स०)/ सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.10.19

संयुक्त सचिव

BSEA dt.11.10.2019

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, ई-मेल :bseapatna@gmail.com

पत्रांक-नि० प्रा०/नि० 1-07/2019 869 /पटना, दिनांक 14/06/2019

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (पैक्स चुनाव),
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी,
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।

विषय : **सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र की स्थापना के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राधिकार के पत्रांक- 109 दिनांक 28.02.2009 एवं पत्रांक- 822 दिनांक 09.07.2009 द्वारा मतदान केन्द्र की स्थापना के संबंध में विस्तृत निदेश दिये गये थे, जिसका उल्लेख निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में किया गया है। उक्त के अनुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना साधारणत: पैक्स कार्यालय भवन में किया जायेगा। अगर पैक्स कार्यालय किसी निजी भवन में चल रहा हो तो मतदान केन्द्र पैक्स मुख्यालय में अवस्थित ग्राम-पंचायत भवन/ समुदायिक भवन/ प्राथमिक विद्यालय भवन/ आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा अन्य सरकारी भवन में स्थापित किया जायेगा किन्तु कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थाना, अस्पताल/ डिस्पेंसरी, मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल या विवादित परिसर में स्थापित नहीं किया जायेगा।

प्राधिकार के उक्त पत्रांक 109 दिनांक 28.02.2009 के अनुसार यह प्रावधान किया गया था कि मतदान केन्द्र किसी भी स्थिति में पैक्स मुख्यालय से बाहर अन्य स्थान पर स्थापित नहीं किया जायेगा। राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में यह व्यावहारिक समस्या उभर कर सामने आयी कि किसी पंचायत/ गाँव की भौगोलिक संरचना ऐसी होती है कि उसके बीचों-बीच कोई नदी या पहाड़ी इत्यादि होती है, जिससे दूसरे छोर के मतदाताओं को मतदान करने में असुविधा होती है। इस संबंध में प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पंचायत की भौगोलिक संरचना तथा नागरिक सुविधा को ध्यान में रखकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) के अनुमोदन से एक से अधिक स्थलों पर मतदान केन्द्र बनाये जा सकते हैं।

पैक्स निर्वाचन 2019 के निमित्त मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में 31 जुलाई तक अंतिम निर्णय लिया जाना है। विधि व्यवस्था की असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर अंतिम क्षणों में मतदान केन्द्र का परिवर्तन करने से बचा जायेगा। अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही ऐसा कोई परिवर्तन पूर्ण औचित्य बतलाते हुए मतदान की तिथि से सात दिन पूर्व तक ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) के विशेष आदेश से किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि निर्वाचन पदाधिकारी एवं संबंधित समिति द्वारा परिवर्तित मतदान केन्द्र की सूचना मतदाताओं को विहित तरीके से मतदान की तिथि के पाँच दिन पूर्व तक उपलब्ध करा दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि पैक्स निर्वाचन 2019 के संदर्भ में मतदान केन्द्रों की स्थापना हेतु उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त निदेश सभी प्रकार की सहकारी समितियों में लागू होगा।

विश्वासभाजन

14.6.19

(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।